

Additional Attachment -2.1

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी योजना के अन्तर्गत दरमोली – पिठौली मोटर मार्ग का निर्माण |(लम्बाई 2.000 किमी)

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी योजना के अन्तर्गत दरमोली–पिठौली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासन देश संख्या 827 / 111-2 / 06-07(प्रा0आ0) / 05 टी0सी0 (एस0सी0पी0) दिनांक 28.03.2006 के तहत हुई। जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू-भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से रथानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार-बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम दरमोली एवं पिठौली के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गाँवों से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गाँव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह मोटर मार्ग क्वारब मोना, सरगाखेत मोटर मार्ग के किमी0 26 पोखरा नामक स्थान के पास से ग्राम दरमोली मल्ला पिठौली तक 2.00 किमी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग-अलग रंगो से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0-1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग क्वारब मोना, सरगाखेत मोटर मार्ग के किमी0 26 पोखरा नामक स्थान के पास से प्रस्तावित किया गया है, जिसे सफेद रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरेखण में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण के अन्तर्गत वृक्ष तथा बैन्ड कम आते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है, इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत हैं।

संरेखण नं0-2 जो बैगनी रंग से दर्शाया गया है, जो वैकल्पिक समरेखण है। इसमें बैन्ड अधिक आने से वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानकों के अनुसार सही ग्रेड न मिलने एवं अधिक नाप भूमि प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखणों का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा संरेखण नं0-1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति संरेखण नं0-(1) के अन्तर्गत मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 2.00 किमी0 लम्बाई के लिए क्रमशः वन पंचायत, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, जिसमें 1690 मीटर लम्बाई में वन पंचायत, 10 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि तथा 300 मीटर लम्बाई में नाप प्रभावित भूमि होती है।

अतः 2.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (वन पंचायत) लम्बाई 1690 मीटर एवं (सिविल सोयम) लम्बाई 10 मीटर तथा कुल प्रभावित होने वाली 1.19 हैं वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 217 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नो0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अधियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नो0वि0
नैनीताल।